भारत सरकार

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 767

उत्तर देने की तारीख 08 फरवरी, 2023

बुधवार, 19 माघ, 1944 (शक)

प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत पथ विक्रेताओं का कौशल विकास

767 श्री सतीश चंद्र दूबे:

क्या कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या राज्यों द्वारा प्रधान मंत्री कौशल विकास योजना के तहत पथ विक्रेताओं के कौशल विकास के लिए कोई प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है ताकि उन्हें अधिक राजस्व अर्जित करने में मदद मिल सके;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस संबंध में बिहार सहित देश में फेरीवालों के लिए सृजित रोजगार के अवसरों का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का बिहार में रेहड़ी-पटरी वालों के लिए इस कार्यक्रम का विस्तार करने का विचार है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

कौशल विकास और उद्यमशीलता राज्य मंत्री

(श्री राजीव चंद्रशेखर)

(क) से (ग) पीएमकेवीवाई के अंतर्गत, 18 राज्यों/संघ राज्य-क्षेत्रों में 44,449 स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को अल्पावधि प्रशिक्षण (एसटीटी) और पूर्व शिक्षण मान्यता (रपीएल) के माध्यम से प्रशिक्षित/उन्मुख किया गया है। बिहार राज्य में पीएमकेवीवाई के तहत स्ट्रीट फूड विक्रेताओं को कोई प्रशिक्षण नहीं दिया गया है। दिनांक 31.12.2022 तक राज्य-वार विवरण **अनुबंध** में दिया गया है।

कौशल विकास और उद्यमशीलता मंत्रालय (एमएसडीई) ने 2,500 से अधिक पथ खाद्य विक्रेताओं को चार महीने की अवधि हेतु प्रशिक्षण देने के लिए दिनांक 30.11.2021 को पूर्वी दिल्ली नगर निगम (ईडीएमसी) में पथ खाद्य विक्रेताओं के लिए कौशल उन्नयन (ई-कार्ट लाइसेंस हेतु)' के लिए एक प्रयोगिक परियोजना प्रारम्भ की थी। इस कौशल विकास का उद्देश्य कौशल प्रदान करना था जिससे उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं, राजस्व सृजन में विक्रेताओं को अधिक अवसर मिलेंगे और विनियमों के बारे में जागरूकता पैदा होगी तथा स्थानीय निकायों के लिए निर्धारित नियमों और बेहतर सेवाओं का पालन होगा। उम्मीदवारों को पर्यटन तथा तिथ्य कौशल परिषद तथा भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण (एफ़एसएसएए ई) से दोहरा प्रमाणन प्रदान किया गया। इस परियोजना के तहत, 1365 पथ खाद्य विक्रेताओं को नामांकित किया गया था और इनमें से 706 को प्रमाणित किया गया था।

(घ) और (ङ) वर्तमान में, मंत्रालय में इस परियोजना की बिहार राज्य में विस्तार करने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है।

अनुबंध

दिनांक 08.02.2023 को पूछे गए राज्य सभा अतारांकित प्रश्न संख्या 767 के उत्तर के संदर्भ में।

पीएमकेवीवाई के तहत लाभान्वित स्ट्रीट फूड वेंडर्स की राज्य-वार संख्या (31.12.2022 तक)

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	प्रशिक्षित/उन्मुख	प्रमाणित	सूचित नियोजन
1.	असम	10,651	7,885	-
2.	चंडीगढ़	180	165	136
3.	छत्तीसग	30	19	12
4.	दिल्ली	24,863	13,490	-
5.	गोवा	63	54	18
6.	गुजरात	240	187	94
7.	हरियाणा	100	-	-
8.	हिमाचल प्रदेश	284	118	-
9.	झारखंड	676	395	-
10.	महाराष्ट्र	56	44	-
11.	ओडिशा	1,417	983	-
12.	तमिलनाडु	1,126	863	442
13.	तेलंगाना	120	119	-
14.	दादरा और नगर हवेली और दमन और दीव	120	117	87
15.	त्रिपुरा	150	144	75
16.	उत्तर प्रदेश	3,540	2,396	271
17.	उत्तराखंड	677	571	299
18.	पश्चिम बंगाल	156	147	2
	योग	**44,449**	**27,697**	**1,436**

****